कार्यालय– जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक : लेखा/620 दिनांक : 16.11.19

निविदा सूचना

इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में मुद्रण कार्य करवाने एवं स्टेशनरी आर्टिकल्स क्रय करने के लिये प्रतिष्ठित एवं संस्थापित फर्मों से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य लागत	धरोहर राशि राज्य की एस एस आई इकाइयों के लिये	धरोहर राशि अन्य फर्मों के लिये	निविदा शुल्क	निविदा प्रपत्र के विक्रय की तिथि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
01	मुद्रण कार्य	252800 /–	1/2 प्रतिशत (राशि रुपये 1264/–)	02 प्रतिशत(राशि रुपये 5056/–)	200 रुपये	18.11.19 को प्रातः 11.00 बजे से 05.12.19 को दोपहर 01.00 बजे तक	05.12.19 को दोपहर 03.00 बजे तक
02	स्टेशनरी एवं स्टेशनरी आईटम्स	259500 /–	1/2 प्रतिशत (राशि रुपये 1298/–)	02 प्रतिशत (राशि रुपये 5190/–)	200 रुपये	18.11.19 को प्रातः 11.00 बजे से 05.12.19 को दोपहर 01.00 बजे तक	05.12.19 को दोपहर 03.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित शुल्क जमा करवाकर इस कार्यालय की लेखा शाखा (कमरा नंबर 101डी) से निर्धारित तिथि व समय से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा के साथ धरोहर राशि जमा करवाना आवश्यक होगा। धरोहर राशि के बिना निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 05.12.19 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा का विस्तृत विवरण व शर्तें http://sppp.rajasthan.gov.in एवं ecourts.gov.in/jaipur पर देखी जा सकेगी।

अध्यक्ष,
लेखन एवं मुद्रण सामग्री क्रय समिति,
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम–4,
जयपुर जिला, जयपुर

कार्यालय – जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

निविदा का प्रारूप

निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रुपये
(वापसी योग्य नहीं)

01–कार्य का नाम	मुद्रण सामग्री की आपूर्ति किये जाने की निविदा
02–निविदा प्रपत्र जिस फर्म के नाम जारी किया गया उसका नाम व डाक का पता, मोबाईल नंबर व ई मेल एड्रेस	
03–अनुमानित राशि	252800/–
04–अमानत राशि	5056/–
05–निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	18.11.19 को दोपहर 11.00 बजे से दिनांक 05.12.19 को दोपहर 01.00 बजे तक
06–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05.12.19 को 03.00 P.M. बजे तक
07–निविदा खोलने की तिथि	05.12.19 को सायं 04.00 P.M. बजे

अध्यक्ष
लेखन एवं मुद्रण सामग्री क्रय समिति
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम–4,
जयपुर जिला, जयपुर

मुद्रण कर सप्लाई की जाने वाली सामग्री का विवरण, प्राप्त की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा, उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है–

क्र0 सं0	मुद्रण कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	कागज का विवरण 75 जी एस एम–500शीट्स प्रति रिम	निविदादाता द्वारा दी गयी दर (सभी कर सहित)
01	विभिन्न रजिस्टर 17X27X2 जिल्द रहित प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों तरफ छपाई	350 रजिस्टर प्रत्येक 100 कागज	उत्तम गुणवत्ता	
02	विभिन्न रजिस्टर 17X27X4 जिल्द रहित प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों तरफ छपाई	200 रजिस्टर प्रत्येक 100 कागज	उत्तम गुणवत्ता	

03	विभिन्न रजिस्टर 17X27X8 जिल्द रहित प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों तरफ छपाई	100 रजिस्टर प्रत्येक 100 कागज	उत्तम गुणवत्ता	
04	विभिन्न फार्म साईज 17X27X4 दोनों तरफ छपाई	80000 फार्म	उत्तम गुणवत्ता	
05	विभिन्न फार्म साईज 17X27X4 एक तरफ छपाई	250000 फार्म	उत्तम गुणवत्ता	
06	विभिन्न फार्म साईज 17X27X8 दोनों तरफ छपाई	5000 फार्म	उत्तम गुणवत्ता	
07	विभिन्न फार्म साईज 17X27X8 एक तरफ छपाई	10000 फार्म	उत्तम गुणवत्ता	

निविदा के प्रतिबंध व शर्तें

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदि भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर इन शर्तों के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

01. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा (कमरा नंबर 101डी) में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।
02. बिना अमानत राशि जमा कराये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी।
03. निविदा प्रपत्र के साथ पैन नंबर, जीएसटी नं. की प्रति संलग्न होना चाहिये।
04. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
05. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्री स्वीकृत नमूनानुसार एवं वांछित गुणवत्ता अनुसार होनी चाहिये। पेपर रिम की आपूर्ति को वजन माप के आधार पर भी विचार किया जायेगा।
06. सप्लाई आदेश प्राप्ति के बाद शीघ्रताशीघ्र सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। निविदा में वर्णित दरों के संबंध में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
07. निविदा की अवधि में यह प्रदायकर्ता द्वारा इस विभाग को आपूर्ति की जा रही लेखन सामग्री की दरों में कोई कमी की जाती है या दी गयी दर से किसी अन्य को कम दर से सामग्री की आपूर्ति की जा रही है तो यह कम की गयी दर इस विभाग के लिये भी मान्य होगी एवं प्रदायकर्ता द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत अपने देय को इस बाबत प्रमाणपत्र अंकित करना होगा।

08. निविदा में प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से लिखकर अंकित करनी होगी। कांट–छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा दरें निर्धारित मांग/निर्देशों/नमूना/ब्रॉण्ड के अनुसार स्पष्ट रूप से दी जावे। निविदा में प्रस्तुत दरों में समस्त कर एवं सामान को इस कार्यालय तक पहुंचाने का व्यय (हैंडलिंग चार्जेज) भी शामिल होगा।

09. बयाना राशि (निविदा के साथ) एवं प्रतिभूति जमा (स्वीकृत फर्म द्वारा) जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के नाम डी0डी0 बनाकर प्रस्तुत करना होगा

10. सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाई किये जाने वाले सामान की मूल कीमत की पॉच प्रतिशत राशि (राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में एक प्रतिशत राशि) कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में आदेश प्राप्ति के तुरन्त बाद जमा करवानी होगी, जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इस अतिरिक्त निर्धारित राशि 500/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।

11. किसी भी निविदा या निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बाबत दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12. सामग्री की आपूर्ति की दरें दिनांक 31.03.20 तक मान्य होगी एवं उसके पश्चात् दोनों पक्षों की सहमति से अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

13. अनुमोदित प्रदायकर्ता अपनी निविदा को किसी को सबलैट नहीं करेगा।

14. निविदादाताओं को सप्लाई की जाने वाली सामग्री का सैम्पल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।बिना सैम्पल के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वांछित प्रिंटिंग सामग्री का नमूना/स्पेसिफिकेशन कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

15. सप्लाई की गयी सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

16. परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जावेंगे किन्तु यदि निविदाकर्ता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करवाना चाहता है या परीक्षण परिणाम से ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों पर मापदण्ड के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार प्रदायकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।

17. निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।

18. असफल निविदादाताओं की अमानत राशि निविदा के स्वीकार किये जाने के तुरन्त बाद लौटा दी जावेगी।

19. निविदा में उन्हीं फर्मों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो वास्तव में उत्पादन कम्पनी से मान्यता प्राप्त डीलर अथवा कार्य करने की क्षमता रखते हैं एवं स्वयं का स्टोर है।

20. निविदा प्रपत्र में दी गयी सामग्री की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।

21. उक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें जी0एफ0एण्डए0आर0, आर0टी0टी0पी नियम, 2013 तथा राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मान्य होंगी। अन्य शर्तों में कोई भी संशोधन करने का विभाग को अधिकार होगा जो मान्य होगा।

22. आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
23. कोई भी विवाद होने की स्थिति में जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

हम जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा चाही गयी लेखन सामग्री हमारे द्वारा दी गई दरों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत हैं।

हम जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या........... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर फर्म मालिक / पार्टनर
मय सील

वास्ते
फर्म का नाम व पता
फर्म का स्टाम्प